तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मोहनलाल व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य अपील जीसीएमएस संख्या 2017/00105	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र 151 सी.पी.सी. पेश कर कथन किया कि अपीलांट द्वारा ग्राम कल्याणपुरा तहसील सांगोनर जिला जयपुर के आराजी खसरा नम्बर 769, 770 एवं 778 की गलत 90(ए) की कार्यवाही हो जाने के फलस्वरूप अपील पेश की है। जो कि विचाराधीन है। जे0डी0ए0 द्वारा स्वयं ने उक्त खसरा नम्बरान् को दिनांक 21.10.2015 द्वारा 90(ए) की कार्यवाही से अलग कर मुक्त कर दिया है। यानि अपील में चाही गई रिलीफ अपीलार्थीगण को उक्त आदेश दिनांक 21.10.2015 से मिल चुकी है। इसके अलावा अन्य रिलीफ अपीलांट्स द्वारा नहीं चाही गई है तथा नामान्तरकरण व जमाबंदी में भी अपीलांट्स के नाम इन्द्राज हो चुका हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील प्रभावहीन होने से चलने योग्य नहीं है। जे0डी0ए0 के अधिवक्ता द्वारा भी रेस्पोंडेण्ट के कथनों का समर्थन किया। वकील उभयपक्ष की बहस एवं अपील का अवलोकन किया गया। अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील के माध्यम से अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 769, 770 एवं 778 की गलत तरीके से 90(ए) की कार्यवाही किये जाने एवं उक्त भूमि का नामान्तरकरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम किये जाने को लेकर पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा अपीलांट के खसरा नम्बर 769, 770 एवं 778 को 90(ए) की कार्यवाही से अलग कर अपीलांट्स के नाम नामान्तरकरण भी तस्दीक किया जा चुका है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रश्नगत अपील आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट इसी स्तर पर निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। तहत् रिकार्ड वापिस लौटाया जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर	